

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 936/12

संस्थित दिनांक-26.11.12

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-मौ

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

अहसान वेग पुत्र अनवर बेग उम्र 40 साल

निवासी मस्जिद के पास मेहगांव जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 27.10.2017 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 304ए के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 24.10.12 को समय 12 बजे भडैरा मोड मौ मेहगांव मैन रोड पर टाटा 407 नं० एमपी०-०७ जी०ए०-1040 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाते हुए सोम शर्मा की ऐसी मृत्यु कारित की जो मानव बंध की कोटि में नहीं आती।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 24.10.12 को माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए फरियादी अशोक टिकैत टाटा 407 नंबर एम०पी०-०७ जी०ए०-1040 से सोम शर्मा, पंकज सैथिया, शिवकुमार गुप्ता, इन्द्रवीरसिंह व लक्ष्मण दयाल के साथ जा रहा था। उक्त वाहन को अहसान वेग खपरा चला रहा था। जैसे ही उक्त वाहन भडैरा मोड पर पहुँचा तब वाहन के चालक द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन चलाकर एक दम से मोड दिया जिससे गाड़ी पर पीछे बैठा सोम शर्मा रोड पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गयी। अभियुक्त वाहन लेकर भाग गया। इस आशय की सूचना से अप०क्र० 225/12 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान मृतक का शव परीक्षण कराया गया, नक्शामौका बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए वाहन जब्त कर जब्ती पत्रक, अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिर० पत्रक बनाया गया, मैकेनिकल जांच कराई गयी बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ़्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त ने निर्दोष होना तथा रंजिश के कारण एवं क्लेम प्राप्त करने के लिए झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1-क्या दिनांक 24.10.12 को समय 12 बजे सोम शर्मा की सड़क दुर्घटना में मृत्यु कारित हुई ?

2-क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व भडैरा मोड मौ मेहगांव मैन रोड पर टाटा 407 नं० एमपी०-०७ जी०ए०-1040 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाते हुए सोम शर्मा की ऐसी मृत्यु कारित की जो मानव बध की कोटि में नहीं आती ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में डा० आलोक शर्मा अ०सा० 1, पंकज सैथिया अ०सा० 2, लक्ष्मण अ०सा० 3 पवन जैन अ०सा० 4, डा० आर० विमलेश अ०सा० 5, निहालसिंह अ०सा० 6, इन्द्रवीर अ०सा० 7, केशवसिंह तोमर अ०सा० 8, शिवकुमार गुप्ता अ०सा० 9 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निष्कर्ष //

6. फरियादी आलोक शर्मा अ०सा० 1 यह कथन करते हैं कि मृतक सोम शर्मा परिवार के नाते उनके चाचा लगते हैं। तीन साल पहले दिन के 3-4 बजे वे टाटा 407 गाड़ी से मेहगांव से स्योढा जा रहे थे, साथ में 15-20 लोग थे। मौ के पहले वाहन पहुंचा जो आराम से नियंत्रण में चल रहा था, अचानक मोड आने से सोम शर्मा जो किनारे पर बैठे थे, अपना संतुलन खो बैठे जिससे वे रोड पर गिर गए और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गयी। इसके उपरान्त उनको अस्पताल लेकर पहुंचे। रिपोर्ट प्र०पी० 1 लिखाए जाने जिस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होने, अकाल मृत्यु की सूचना प्र०पी० 3 पर ए से ए भाग पर एवं नक्शा पंचायतनामा लाश प्र०पी० 4 पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं। चक्षुदर्शी पंकज सैथिया अ०सा० 2 अपने अभिसाक्ष्य में बताते हैं कि वे फरियादी आलोक व लक्ष्मण चौधरी के साथ मेटाडोर 407 से दुर्गा माता की मूर्ति सिराने (विसर्जित करने) स्योढा जा रहे थे। घमूरी मोड पर एक लडका उपर बैठा था वह नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गयी। लक्ष्मण अ०सा० 3 भी यही कथन करते हैं कि वे भी उक्त मेटाडोर 407 से जा रहे थे जिससे गिर कर एक लडके की मृत्यु हो गयी। इन्द्रवीरसिंह अ०सा० 7 बताते हैं कि वे उक्त लोगों के साथ मेटाडोर 407 से दुर्गा माता की मूर्ति विसर्जित करने जा रहे थे तब एक लडका जो उपर बैठा था वह गिर गया, उसकी मृत्यु हो गयी। शिवकुमार गुप्ता अ०सा० 9 भी यही बताता है कि गाड़ी मेटाडोर से स्योढा जा रहे थे जिसमें काफी लोग बैठे थे। एक व्यक्ति अचानक से गिर गया जिसे इलाज के लिए सीएचसी मौ ले गए जहां उसकी मृत्यु हो गयी थी। साक्षी उक्त व्यक्ति के संबंध में नक्शा पंचायतनामा प्र०पी० 4 बनाए जाने जिस पर ई से ई भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

7. प्रकरण में आलोक अ०सा० 1 अकाल मृत्यु की सूचना प्र०पी० 3 व नक्शा पंचायतनामा प्र०पी० 4 पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। इसके अतिरिक्त पंकज अ०सा० 2 प्र०पी० 4 पर बी से बी भाग पर, लक्ष्मण अ०सा० 3 प्र०पी० 4 के सी से सी, इन्द्रवीर अ०सा० 7 डी से डी तथा शिवकुमार अ०सा० 9 ई से ई भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। डा० आर० विमलेश अ०सा० 5 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि दिनांक 24.10.12 को उनके साथ पदस्थ डा० हरीश हाशवानी, मेडीकल आफीसर द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मौ में मृतक सोम शर्मा पुत्र अवधेश निवासी मेहगांव का शव परीक्षण किया था, जिसके परीक्षण में मृतक के नाक में खून जमा था, निचला जबड़ा टूटा था, छाती पर खरोंच थी, बांया कंधा कुचला था। दाहिनी कलाई, बाएं हाथ, बांया घुटना, पेट के निचले हिस्से के दोनो ओर, बाएं हाथ की कोहनी में चोटें थी। पांचवी पसली टूटी थी, छाती के अंदर खून भरा था। मृतक की मृत्यु छाती में आई चोट के कारण अत्यधिक रक्तस्राव एवं उत्पन्न सदमे से हुई थी। साक्षी के द्वारा मृतक की शव परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी० 9 पर ए से ए भाग पर डा० हरीश हाशवानी के हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं। चिकित्सक डा० आर० विमलेश अ०सा० 5 की अभिसाक्ष्य एवं प्र०पी० 9 पर डा० हरीश हाशवानी के हस्ताक्षर के संबंध में किया गया कथन भारतीय साक्ष्य अधि० 1872 की धारा 47 के अधीन सुसंगत होकर मृतक सोम शर्मा की मृत्यु के संबंध में पदीय कर्तव्य के निर्वहन में निष्पादित होने से अविश्वास का कोई आधार प्रस्तुत नहीं करता।

8. निहालसिंह अ०सा० 6 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि उन्होंने प्र०पी० 1 की रिपोर्ट लेख की थी जिस पर बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं, उसी दिनांक 24.10.12 को मृतक सोम शर्मा की दुर्घटना में मृत्यु होने का मर्ग प्र०पी० 3 लेख किया जिसके बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उन्होंने थाना प्रभारी के निर्देश पर प्र०आर० रामकिशोर शर्मा अनुसंधान हेतु प्राथमिकी प्रदान की गयी थी। प्र०आर० रामकिशोर शर्मा की मृत्यु हो जाने से उनके साथ साक्षी द्वारा किए गए अनुसंधान को प्रमाणित किया है। साक्षी द्वारा यह कथन किया है कि उन्होंने स्व० प्र०आर० रामकिशोर शर्मा के साथ लगभग तीन वर्ष कार्य किया है इस कारण से उनके हस्ताक्षर व हस्तलिपि से भलीभांति परिचित है। स्व० रामकिशोर द्वारा अनुसंधान के क्रम में नक्शा पंचायतनामा लाश प्र०पी० 4 तैयार करना जिस पर बी से बी भाग पर हस्ताक्षर का कथन करते हैं। इस प्रकार से अभियोजन की ओर से भलीभांति यह तथ्य प्रमाणित कराया गया है कि दिनांक 24.10.12 को मृतक सोम शर्मा की सड़क दुर्घटना में मृत्यु कारित हुई थी। अभियुक्त की ओर से किसी अभियोजन साक्षी की साक्ष्य में मृतक सोम शर्मा की दुर्घटना जनित मृत्यु के तथ्य को चुनौती नहीं दी गयी। इस प्रकार से अखण्डनीय रूप से प्रमाणित हो जाता है कि दिनांक 24.10.12 को मृतक सोम शर्मा की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई। अब इस तथ्य का विवेचन करना है कि क्या मृतक सोम शर्मा की मृत्यु अभियुक्त के उपेक्षा अथवा उतावलेपन कार्य के फलस्वरूप कारित हुई थी ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक-2 //

9. प्रकरण में फरियादी आलोक अ०सा० 3 अपने अभिसाक्ष्य में बताते हैं कि वे टाटा 407 गाडी से मेहगांव से स्योढा जा रहे थे। किन्तु न तो कथित वाहन का कोई नंबर बताते हैं न ही उसके चालक के संबंध में कोई कथन करने में समर्थ हैं। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न में सुझाव दिया कि उन्होंने प्र०पी० 1 की रिपोर्ट में अभियुक्त का नाम वाहन चालक के रूप में लिखाया था तो साक्षी द्वारा उक्त सुझाव से इंकार किया है। इसके अतिरिक्त पुलिस कथन प्र०पी० 5 में भी अभियुक्त का नाम लिखा जाने से इंकार किया है। मुख्य परीक्षण में बताते हैं कि कथित टाटा 407 आराम से व नियंत्रण में चल रही थी तभी अचानक मोड़ आने से मृतक सोम शर्मा पीछे किनारे पर बैठे थे जो अपना संतुलन खो बैठे और रोड पर गिर गए थे। इस प्रकार से यह साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में मृतक सोम शर्मा का स्वयं ही संतुलन खोकर गिरने का कथन किया गया है। घटना के कथित चक्षुदर्शी साक्षी पंकज अ०सा० 2, लक्ष्मण अ०सा० 3, इन्द्रवीर अ०सा० 7 तथा शिवकुमार अ०सा० 9 सभी के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में कथित वाहन टाटा 407 मेटाडोर से मृतक सोम के गिर पड़ने का कथन अवश्य किया है किन्तु किसी ने भी उक्त वाहन के चालक द्वारा उपेक्षा अथवा उतावलेपन से वाहन चलाने के कारण मृतक के कथित वाहन से गिरने के संबंध में कथन नहीं किया और न ही सूचक प्रश्नों में अभियोजन के उक्त सुझाव को स्वीकार किया है कि वाहन का चालक उसे उपेक्षा व उतावलेपन से चला रहा था।

10. प्रकरण में निहालसिंह अ०सा० 6 यह कथन करते हैं कि उन्होंने अभियुक्त के विरुद्ध टाटा 407 क्र० एम०पी०-07 जी०ए०-1040 को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक दम से मोड़ देने के कारण मृतक सोम शर्मा के गाडी से गिरकर मृत्यु हो जाने के संबंध में रिपोर्ट लेख की थी, जिसे उन्होंने लेख किया था। साक्षी प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार करता है कि फरियादी आलोक ने पुलिस रिपोर्ट प्र०पी० 1 एवं प्र०पी० 5 के कथन में बी से बी भाग पर चालक द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर एकदम से मोड़ देने के संबंध में तथ्य नहीं लिखाया। निहालसिंह अ०सा० 6 यह कथन करते हैं कि अनुसंधानकर्ता स्व० प्र०आर० रामकिशोर द्वारा वाहन स्वामी से दि० 28.10.12 को वाहन चलाने का प्रमाणीकरण प्रपी० 8 लिया था जिस पर प्र०आर० के बी से बी भाग पर हस्ताक्षर हैं। उक्त प्रमाणीकरण के संबंध में पवन जैन अ०सा० 4 यह कथन करते हैं कि टाटा 407 क्र० एम०पी० 07 जी०ए० 1040 के वे पंजीकृत स्वामी हैं। उक्त वाहन पर उनके दो तीन चालक हैं। वाहन को बंटी खॉन, एक गोस्वामी पचैरा वाला तथा अभियुक्त अहसान बेग भी चलाता है। उन्हें सूचना मिली थी घटना दिनांक को उनके वाहन से एक लडका गिर गया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। किन्तु कथित वाहन अभियुक्त द्वारा चलाया जा रहा था इस संबंध में कथन नहीं करते। सूचक प्रश्न में इस तथ्य से इंकार करते हैं कि घटना दिनांक को उक्त वाहन अभियुक्त अहसान बेग ने तेजी व

लापरवाही से चलाकर एकदम से मोड़ दिया जिससे उस पर बैठा सोम शर्मा गाड़ी के नीचे गिर गया। इस तथ्य से भी इंकार करते हैं कि अहसान वेग ने उक्त तथ्य की जानकारी दी थी।

11. प्रकरण में फरियादी एवं किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा अभिकथित घटना में अभियुक्त द्वारा वाहन चलाने के संबंध में कथन नहीं किया है। जहां तक प्र०पी० 1, प्रपी० 5 का प्रश्न है तो वे सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। साथ ही प्र०पी० 8 का प्रमाणीकरण भी अनुश्रुत साक्ष्य पर आधारित होकर एक मात्र दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता है। पवन जैन अ०सा० 4 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में उसके उक्त वाहन पर तीन वाहन चालक होना बताए हैं। ऐसे में अभियुक्त ही घटना के समय वाहन को उपेक्षा व उतावलेपन से चला रहा था, इस संबंध में कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि टाटा 407 क्र० एम०पी०-07 जी०ए०-1040 को अभियुक्त घटना के समय चला रहा था फिर भी उसके द्वारा अभिकथित वाहन को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाए जाने के संबंध में किंचित साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। केशवसिंह अ०सा० 8 वाहन के मैकेनिकल जांचकर्ता है। उनकी साक्ष्य औपचारिक प्रकृति की है। प्र०पी० 9 के जब्ती पत्रक के अनुसार घटना से चार दिन बाद घटनास्थल से भिन्न स्थान मेहगांव में वाहन स्वामी पवन जैन के मकान के सामने वाहन स्वामी के आधिपत्य से वाहन जब्त होना दर्शाया गया है। ऐसी दशा में अभियुक्त के विरुद्ध ऐसी कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है जो कि अभियुक्त के द्वारा अपराध कारित किए जाने के आरोप को प्रमाणित करने हेतु पर्याप्त होती हो।

12. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 24.10.12 को समय 12 बजे भडैरा मोड़ मौ मेहगांव मैन रोड पर टाटा 407 नं० एमपी०-07 जी०ए०-1040 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाते हुए सोम शर्मा की ऐसी मृत्यु कारित की जो मानव बंध की कोटि में नहीं आती। अतः अभियुक्त को धारा 304 ए के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारहीन किए जाते हैं। धारा 437 ए के अधीन प्रस्तुत जमानत व बंधपत्र निर्णय दिनांक से 6 माह अपील न्यायालय के समक्ष उपस्थिति के अधीन रहने तक प्रभावी रहेगे।

14. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान० अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

15. अभियुक्त की निरोधावधि कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)